

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

प.सं.1/22/29/2016-PRO.


दिनांक: 15.11.2021

कोटेशन (संविदा दर) आमंत्रित करने की सूचना

1. अनुबंध I से V के अनुसार पुरानी और अप्रचलित वस्तुओं, टूटे हुए विभाजनों, दरवाजों, खिड़कियों, वेंटिलेटर आदि की बिक्री/निपटान के लिए आइटमरेट मुहरबंद कोटेशन(संविदा दर) आमंत्रित किए जाते हैं। (इस सूचना के साथ संलग्न)
2. कोटेशन के नियम और शर्तें :-
 - क. बिक्री/निपटान के लिए माल/वस्तुओं की जांच कार्यालय परिसर में दिनांक **17.11.2021** से दिनांक **30.11.2021** तक पूर्वाह्न **11.00** बजे से अपराह्न **04.00** बजे के बीच की जा सकती है। (कार्य दिवसों पर)।
 - ख. बिक्री/निपटान के लिए सामान/वस्तुओं को 'जहां है जैसा है' के आधार पर बेचा जाता है।
 - ग. प्रत्येक वस्तु के लिए बोली (अनुलग्नक-I से V) में माल की श्रेणी में दर्शाई गई है। किसी एक वस्तु की खरीद की अनुमति नहीं है।
 - घ. मुहरबंद कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि **03.12.2021** को या उससे पहले अपराह्न **02.00** बजे है। कोटेशन उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जाएंगी। बोली उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जो उच्चतम दर उद्धृत करेगा। सफल बोलीदाता को बोली की राशि का 25 प्रतिशत उसी दिन और शेष राशि 7 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा और माल पूरी राशि का भुगतान करने के बाद 7 दिनों के भीतर कार्यालय परिसर से हटा दिया जाना चाहिए।

436

- ड. सभी कर देनदारियों का भुगतान सफल बोलीकर्ता को करना होगा।
च. कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी कोटेशन को रद्द करने का अधिकार रखता है।
छ. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।




(एस.सुरेश)
सहायक आयुक्त(का.व सत.)

प्रति :

1. सूचना पट्ट
2. कार्यालय वेबसाइट - 'www.cenexcisekochi.gov.in'



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय



OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

प.सं.1/22/03/2017-PRO.

दिनांक: 09.11.2021

कार्यालय स्थान किराए पर लेने के लिए निविदा सूचना

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार इरिजालक्कुडा में स्थित रेंज कार्यालय के लिए सुविधाजनक कार्यालय स्थान को किराए पर लेने के लिए बोलियां आमंत्रित करते हैं।

निविदा के लिए समय अनुसूची

क्रम सं	विवरण	तारीख
1	निविदा की ई-प्रकाशन तिथि	10/11/2021 प्रातः 11.00 बजे
2	दस्तावेज डाउनलोड करने प्रारंभ तिथि	10/11/2021 प्रातः 11.00 बजे
3	दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	18/12/2021 शाम 05.00 बजे
4	बोली प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि	10/11/2021 प्रातः 11.00 बजे
5	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	18/12/2021 शाम 05.00 बजे
6	निविदा खोलने की तारीख (तकनीकी)	21/12/2021 प्रातः 11.00 बजे

2. निविदा दस्तावेज सीपीपीपी साइट <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> से डाउनलोड किया जा सकता है और प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (सी सी ए), भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी से जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वाले बोलीदाताओं द्वारा, उपरोक्त अनुसार निविदा के लिए समय सारिणी के भीतर अपलोड किया

जा सकता है। इच्छुक बोलीदाताएं जो ई-प्रोक्योरमेंट में नामांकित / पंजीकृत नहीं किया है, वेबसाइट <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से भाग लेने से पहले पंजीकरण / रजिस्टर करना चाहिए। पोर्टल नामांकन मुफ्त है | इच्छुक बोलीदाता <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> वेबसाइट में दिए गए निविदा दस्तावेज के अनुसार <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर अपने कोटेशन ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।

3. निविदाकर्ता, जिन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से निविदा डाउनलोड की है, निविदा फॉर्म को, डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट सहित, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ या संशोधित नहीं करेगा। यदि किसी भी तरह से उस में छेड़छाड़ /या उसको संशोधित पाया जाता है तो निविदा पूरी तरह से अस्वीकार कर दी जाएगी और निविदाकर्ता को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

4. अनुबंध- II और III में उल्लिखित सभी निविदा दस्तावेजों, जिनके सभी पृष्ठों में व्यवस्थित रूप से हस्ताक्षर किए जाना चाहिए, के साथ निविदाएं केवल ऑनलाइन और दो भागों में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जैसे तकनीकी बोली और वित्तीय बोली । तकनीकी और वित्तीय बोली का प्रारूप अनुबंध - IV में उल्लिखित है। प्रस्तुत की गयी बोली के सभी पृष्ठों को हस्ताक्षरित करना चाहिए और अधिलेखन, यदि कोई हो, तो मालिक / जर्मीदारों या उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से इनिशियल किया जाना चाहिए और अपलोड करने से पहले दस्तावेजों की विषयवस्तु की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना, बोलीदाता द्वारा क्रमांकित किये जाने चाहिए। इसके अलावा, 'नियम एवं शर्तें' (अनुबंध-II) और निविदा स्वीकृति पत्र (अनुबंध- III) को अन्य निविदा दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और अपलोड किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि, सीपीपीपी पर अनुबंध -II (नियम एवं शर्तें) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियों को ना अपलोड करने की स्थिति में, ऐसी तकनीकी बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। सीपीपीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर अपलोड करने के अलावा अन्य माध्यमों के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. इच्छुक सेवा प्रदाताओं को किसी भी शुद्धिपत्र / परिशिष्ट / संशोधन के लिए निविदा प्रस्तुत करने की समाप्ति तिथि तक सीपीपीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर नियमित रूप से जांच करने की सलाह दी जाती है।

6. उपरोक्त किसी तारीख को इस कार्यालय के लिए छुट्टी / बंद दिन के रूप में घोषित किए जाने की स्थिति में, निविदाओं को निर्धारित समय पर अगले कार्य दिवस पर खोला जाएगा।

7. तृशूर जिले के इरिजालक्कुडा में जीएसटी रेंज कार्यालय के लिए कार्यालय का स्थान लगभग 1100 वर्ग फुट का कालीन क्षेत्र होना चाहिए और वह इस निविदा के साथ संलग्न अनुबंध -II में उल्लिखित मापदंडों का अनुपालन करना चाहिए और उसमें सभी सुविधाएं होनी चाहिए।

8. लिए जाने वाले परिसर के लिए देय किराए की राशि भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी और इसे भारत सरकार के लागू अनुदेशों के अनुसार निर्धारित और भुगतान किया जाएगा।

9. स्पष्ट हक वाले इच्छुक पार्टियां कार्यालय वेबसाइट www.cbec.gov.in और www.cenexkochi.gov.in और <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> से भी निविदा डाउनलोड कर सकते हैं।

10. सभी मामलों में पूरी की गई बोलियां, दिनांक 18.12.2021 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले सरकार ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। निर्दिष्ट दिनांक / समय से परे प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक :

- (i) अनुबंध - I (सामान्य अनुदेश)
- (ii) अनुबंध - II (नियम व शर्त)
- (iii) अनुबंध - III (निविदा स्वीकार पत्र)
- (iv) अनुबंध - IV (तकनीकी बोली & वित्तीय बोली फॉर्मेट).



(एस.सुरेश)
सहायक आयुक्त

प्रति :

1. सूचना पट्ट, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोचिन
2. सहायक आयुक्त(सिस्टम) -विभाग की वेबसाइट में प्रकाशित करने हेतु